

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 16 सितम्बर, 2016

विषय: जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.68 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-623/FP/UK/ROAD/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरू, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.68 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन करने की वैधान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योत्पिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.36 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूरी होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही वैधान्तिक स्वीकृति निर्गत होगी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मामनीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सी0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 08/12/2003 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित शर्तों का पालन किया जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का दृढबद्धता प्रस्तुत करेगा कि रक्षक स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधिपूर्ति प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निष्काय के लेखा संख्या-एस0बी0-25229, कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फ्लॉर-1, लेंधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य डेय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित-निर्माण कार्य के लिए जन्मद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पर वन प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भारतीय
Yoshi
(जी.सी. जोशी)
अपर सचिव।

संख्या: 974 (1)/X-4-16/1(312)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (देहरादून), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देहरी कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ प्रान्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, नि:ख0 एन0नि0सी0, कपवोट, बागेश्वर।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NAC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सूचना केन्द्र शासनादेश दो एन0आर0सी0 की वेबसाई पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

अ.आ.से
Puro
(आर0के0 तोमर)
अपर सचिव।